



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24755

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4000 वर्ष 2026

साधिका

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव, आनंद प्रिया सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन या परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/ उप जिलाधिकारी, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर को अपील संख्या 7098 वर्ष 2011 (कंप्यूटर केस संख्या टी202514290517098) (साधिका बनाम मुन्नी लाल और अन्य) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. मामला काफी समय से निचली अदालत के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2, उप जिलाधिकारी, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर को उपरोक्त अपील को कड़ाई से कानून के अनुसार, निचली अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"